# सामान्यतः अभ्यर्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न

## (FREQUENTLY ASKED QUESTION)

### मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त पी.जी. काउंसिलिंग नीट पी.जी. 2019 (18-03-2019)

प्रश्न 1— राज्य के निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एन0 आर0 आई0 कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु पात्रता क्या होगी ?

उत्तर— अभ्यर्थी का नीट पी0जी0 2019 की चयन परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के लिए एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम पर्सेन्टाईल जो कि 50th पर्सेन्टाईल या उससे अधिक प्राप्त किया होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 09 मार्च 2018 में प्रदर्शित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 2(ख) के अनुसार पात्रता रखता हो।

प्रश्न 2— क्या एन0आर0आई0 अभ्यर्थी एन0आर0आई0 कोटे की सीटों के अतिरिक्त ओपन श्रेणी की सीटों पर भी पात्रता रखता है ?

उत्तर— एन0आर0आई0 अभ्यर्थी अपनी पात्रता/मेरिट के अनुसार ओपन श्रेणी की अनारक्षित सीटों पर भी आवंटन की पात्रता रखता है।

प्रश्न 3— क्या एन0आर0आई0 कोटे की सीटों पर आरक्षण लागू है ?

उत्तर— मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 09 मार्च 2018 में प्रदर्शित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 की संलग्न अनुसूची—2 के अनुसार एन0आर0आई0 प्रवर्ग की सभी रिक्तियॉ अनारक्षित होंगी।

प्रश्न 4— क्या एन0आर0आई0 अभ्यर्थी को एन0आर0आई0 कोटे की सीटों हेतु पृथक से पंजीयन कराना होगा?

उत्तर— एन0आर0आई0 अभ्यर्थी को एन0आर0आई0 कोटे की सीटों हेतु एक ही पंजीयन कराना होगा।

प्रश्न—5 प्रथम चरण की काउंसिलिंग में मुझे जो सीट आवंटित हुई है उस पर यदि मैं प्रवेश नहीं लेता हूॅ, तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहूॅगा या नहीं ?

उत्तर – प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर यदि प्रवेश नहीं लेते है, तो आगामी चरणों की कांउसिलिंग के लिये आप पात्र नहीं रहेगें।

प्रश्न 6– प्रथम चरण की काउंसिलिंग में मुझे कोई सीट आवंटित नहीं हुई है क्या मैं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहूंगा?

उत्तर – यदि प्रथम चरण की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, तो आप द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहेंगे।

प्रश्न 7– प्रथम चरण की कांउसिलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है, एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तो क्या अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी अथवा नहीं?

उत्तर– यदि आपने प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है, एवं अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तथा द्वितीय चरण में आप अपग्रेड नहीं होते हैं तो ऐसी दशा में आपकी प्रथम चरण की प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।

प्रश्न 8– प्रथम चरण की कांउसिलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है, एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तो क्या अपग्रेडेशन होने की स्थिति में मुझे अपग्रेडेड सीट/महाविद्यालय/श्रेणी में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा ?

उत्तर– अपग्रेडेशन के विकल्प दिये जाने के अनुक्रम में द्वितीय चरण में अपग्रेड होने की स्थिति में आपको अपग्रेडेड सीट/महाविद्यालय/श्रेणी में प्रवेश लेना अनिवार्य है। ऑनलाईन अपग्रेडेशन प्रक्रिया के दौरान अपग्रेडेशन होने पर अभ्यर्थी की पूर्व प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाती है एवं दूसरे पात्र अभ्यर्थी को मेरिट के अनुसार आवंटित हो जाती है।

प्रश्न 9– यदि मैं प्रथम चरण की कांउसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूँ, एवं उस सीट से त्याग पत्र देता हूँ, तो क्या मैं आगामी चरणों की कांउसिलिंग के लिये पात्र रहूंगा।

उत्तर– यदि आप प्रथम चरण की आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत सीट से त्यागपत्र देते है तो आप काउसिलिंग के समस्त आगामी चरणों के लिये अपात्र होंगे। किसी भी चरण से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देने की स्थिति में उस

चरण के पश्चात होने वाले समस्त आगामी चरणों की कांउसिंलिंग के लिये अभ्यर्थी अपात्र होंगे। त्यागपत्र देने की स्थिति में अभ्यर्थी का पंजीयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

प्रश्न 10– यदि मैं प्रथम अथवा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूॅ परन्तु यदि मैं उस सीट से त्यागपत्र देता हूॅ, तो मुझे कितना शैक्षणिक शुल्क वापिस होगा।

उत्तर– यदि आप द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के अन्तिम दिन के सांय 5:00 बजे से पूर्व त्यागपत्र देते है, तो आपकी जमा की गई फीस में से 10 प्रतिशत फीस (अधिकतम दस हजार रूपये) काटकर आपकी फीस निर्धारित समय सीमा में वापिस कर दी जावेगी। एनआरआई अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त समय सीमा में त्यागपत्र दिया जाता है तो उस पर रू0 25000/– अर्थदण्ड लागू होगा।

प्रश्न–11 प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देने पर सीट लिविंग बॉण्ड कब लागू होगा ?

उत्तर– यदि आप द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के अन्तिम दिन के सांय 5:00 बजे के उपरान्त सीट छोडते है, तो आप पर नियमानुसार सीट लीविंग बॉण्ड लागू होगा।

प्रश्न–12 द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी की पात्रता क्या होगी ?

उत्तर– द्वितीय चरण में वह अभ्यर्थी भाग ले सकेगें जो काउंसिलिंग हेतु पंजीकृत हैं एवं जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा प्रथम चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय चरण की काउंसिलिंग हेतु प्रथम चरण के प्रवेश के समय अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है।

प्रश्न–13 क्या द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु पुनः च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करना होगा?

उत्तर– द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्धाश्र्त अग्रिम शुल्क जमा करने के पश्चात च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रश्न–14 द्वितीय चरण में जमा किये गये अग्रिम शुल्क का समायोजन किस तरह से होगा।

उत्तर – द्वितीय चरण में सीट आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश के समय यह राशि आवंटित संस्था की कुल शैक्षणिक शुल्क में समायोजित कर दी जायेगी। यदि द्वितीय चरण में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो निर्धारित समय सीमा में यह राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापिस कर दी जायेगी, परन्तु अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चरण में कोई सीट आवंटित होती है एवं वह आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई अग्रिम शुल्क राजसात हो जायेगी।

15. मैं प्रथम चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ एवं मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है ऐसी स्थिति में क्या मैं प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दे सकता हूँ ।

उत्तर– द्वितीय चरण की काउंसिलिंग प्रारंभ होने से पूर्व अथवा द्वितीय चरण के आवंटन की घोषणा के उपरान्त द्वितीय चरण की प्रवेश की अंतिम तिथि तक अपना त्यागपत्र दे सकते हैं।

प्रश्न–16 मॉप अप चरण हेतु पात्रता क्या होगी?

उत्तर– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसिलिंग के पूर्व निर्धारित तिथिंयो में अपना रजिस्ट्रेशन एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से करवाया है तथा जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है ऐसे अभ्यर्थी मॉप अप चरण हेतु पात्र होंगे।

ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों से आवंटित सीट पर प्रवेशित है अथवा जिन्होंने आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है अथवा जिन्होंने प्रवेश के उपरान्त अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया हो वे सभी मॉप अप चरण हेतु अपात्र होंगे। अर्थात ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें मॉप अप चरण से पूर्व के किसी भी चरण में सीट आवंटित हुई हो वे मॉप अप चरण के लिये अपात्र होंगे।

प्रश्न–17 पात्र अभ्यर्थी को मॉप अप चरण में क्या करना होगा?

उत्तर– ऐसे अभ्यर्थियों को मॉप अप चरण हेतु च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग से पूर्व रू0 2.00 लाख अग्रिम शुल्क के रूप में जमा करनी होगी तभी वह च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग कर पायेंगे।

प्रश्न–18 मॉप अप चरण हेतु अग्रिम शुल्क रू0 2.00 लाख का समायोजन किस तरह से होगा?

उत्तर – सीट आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश के समय यह राशि आवंटित संस्था की कुल शैक्षणिक शुल्क में समायोजित कर दी जायेगी। यदि मॉप अप राउण्ड में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो निर्धारित समय सीमा में यह राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापिस कर दी जायेगी, परन्तु अभ्यर्थी जिन्हें मॉप अप चरण में कोई सीट आवंटित होती है एवं वह आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई अग्रिम शुल्क रू0 2.00 लाख राजसात हो जायेगी।

प्रश्न 19– मुझे प्रथम चरण में एन आर आई कोटे से प्रथम च्वाईस की सीट आवंटित हई थी, मैने उस पर प्रवेश ले लिया है, अब मै द्वितीय चरण में दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ, क्या यह संभव है?

उत्तर– इसके लिये प्रथम चरण द्वारा प्रवेश के समय अपग्रेडेशन का आप्शन देना आवश्यक है तथा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में पुनः च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करना होगी।

प्रश्न 20– क्या पी0जी काउंसिलिंग 2019 हेतु मध्य प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी पात्र हैं?

उत्तर– द्वितीय चरण एवं उसके बाद के चरणों में मध्य प्रदेश के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सीट राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट कम च्वाईस के आधार पर आवंटित की जायेगी।

प्रश्न 21– मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी हूँ मुझे आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा।

उत्तर– ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में परिभाषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण के पात्र है उन्हें अनुसूची–2 के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

प्रश्न 22– मुझे काउंसिलिंग के चरण में सीट आवंटित होने की स्थिति में क्या करना होगा।

उत्तर– यदि काउंसिलिंग के किसी चरण में आपको सीट आवंटित होती है तो आवंटन आदेश की प्रति के साथ अनुसूची–3 में उल्लेखित प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज लेकर अभ्यर्थी को स्वयं आवंटित महाविद्यालय में जाकर प्रवेश की प्रक्रिया मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के बिन्दु क्रमांक 10 के अन्तर्गत समय सीमा में पूर्ण करना होगा। पूर्ण शैक्षणिक शुल्क ऑनलाईन जमा करने के उपरान्त ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।

प्रश्न 23– क्या रजिस्ट्रेशन/च्वाईस फिलिंग के लिये मुझे महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा।

उत्तर– रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग ऑनलाईन प्रक्रिया है अभ्यर्थी यह दोनो प्रक्रियाएं किसी भी स्थान से इन्टरनेट के माध्यम से एम पी ऑनलाईन के पोर्टल पर कर सकेंगे। अभ्यर्थी को आवंटन आदेश प्राप्त होने के पश्चात् ही महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया हेतु उपस्थित होने की आवश्यकता है।

प्रश्न 24– च्वाईस फिलिंग में न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी च्वाईस भरना अनिवार्य है।

उत्तर – च्वाईस फिलिंग में न्यूनतम एक च्वाईस भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अधिकतम समस्त च्वाईस भर सकता है। च्वाईस फिलिंग के पश्चात अभ्यर्थी च्वाईस लॉक करना सुनिश्चित करें।

प्रश्न 25– क्या मैं बेहतर सीट (अपग्रेड) का विकल्प भर सकता हूँ।

उत्तर – प्रथम चरण में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान ऑनलाईन प्रवेश स्लिप जनरेट करने से पूर्व अभ्यर्थी बेहतर सीट का विकल्प भर सकता है। द्वितीय चरण के प्रवेश या उसके उपरान्त यह विकल्प नहीं लिया जा सकता है।

प्रश्न 26– प्रवेश के दौरान यदि महाविद्यालय की स्क्रूटनी समिति द्वारा मुझे अपात्र पाया गया तो मुझे क्या करना होगा।

उत्तर– महाविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णय से असंतुष्ट अभ्यर्थी अगले दिवस तक पोर्टल पर अपनी असंतुष्टी हेतु अपील दायर कर सकते है।

प्रश्न 27– मॉप अप राउण्ड के पश्चात् रिक्त सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जायेगा।

उत्तर – मॉप अप राउण्ड के पश्चात् रिक्त सीटों का आवंटन मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के बिन्दु 13 के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्न 28– काउंसिलिंग की प्रकिया/दिशा निर्देश के लिये मुझे किस वेबसाईट का इस्तेमाल करना होगा।

उत्तर– काउंसिलिंग की सम्पूर्ण प्रकिया dme.mponline.gov.in पर संपन्न की जायेगी। इसके अतिरिक्त संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर काउंसिलिंग से संबंधित दिशा निर्देश प्रकाशित किये जायेगें। अभ्यर्थी उक्त दोनों वेबसाईट के सतत् संपर्क में रहें।